न्यायालय त्वरित न्यायालय, द्वितीय, दरभंगा
सत्र वाद संख्या–158/2017
राज्य बनाम संतोष पासवान एवं अन्य..... अभियुक्तगण
आ दे श

20.01.2020

आवेदक/अभियुक्त **संतोष पासवान, बबलु पासवान, अशोक पासवान एवं पवन पासवान** के तरफ से आज एक जमानत आवेदन दाखिल किया गया, जिसे आज हीं प्रचालित किया गया। विद्वान अधिवक्ता आवेदक श्री अरविन्द कुमार सिन्हा एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक रेणु झा को सुना।

2. विद्वान अधिवक्ता बचाव पक्ष का तर्क था कि आवेदकगण बिल्कुल निर्दोष है, उन्होनें कोई अपराध नहीं किया है। आवेदकगण दिनांक 30.05.2015 से जमानत पर थे, उन्होनें कभी जमानत का दुरूपयोग नहीं किया है। आवेदकगण गरीब एवं भूमीहीन हरिजन है, जिनका गॉव में आय का कोई साधन नहीं है, इसलिए जीवकोपार्जन हेतु वे लोग हैदराबाद गये और पैरवी की जिम्मा मुंशी को दे गये, तिथि की भूल के कारण दिनांक 23.10.19 और 21.11.19 को पैरवीकार द्वारा पैरवी नहीं हो सकी और दिनांक 21. 11.2019 को उनका बंधपत्र खंडित कर दिया गया। आवेदकगण द्वारा जानबुझकर कोई गलती नहीं की गई है। आवेदकगण न्यायालय द्वारा दिये गये सभी निर्देशों का पालन करने को तैयार है। अतः आवेदकगण को जमानत की सुविधा प्रदान की जाये।

3. विद्वान अपर लोक अभियोजक रेणु झा का तर्क था कि आवेदकगण द्वारा जमानत का दुरूपयोग किया गया है। इसलिए जमानत आवेदन खारिज किया जाये।

4. दोनों पक्षों के तर्को को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया, प्रतीत होता है कि अभियुक्तगण का बंधपत्र दिनांक 21.11.2019 को खंडित किया गया है। आवेदकगण आज स्वंय न्यायालय में आत्मसम्पर्ण किये हैं। अतः वाद के तथ्यों, परिस्थितियों एवं न्यायहित को ध्यान में रखते हुए, आवेदक /अभियुक्तगण **संतोष पासवान, बबलु पासवान, अशोक पासवान एवं पवन पासवान** को सात हजार रूपया के दो प्रतिभूओं के बंधपत्र दाखिल करने पर इस शर्त पर जमानत पर छोडने का आदेश दिया जाता है कि तीन तिथियों तक सदेह उपस्थित रहेगें अन्यथा बंधपत्र स्वतः रद्ध समझा जायेगा।

लेखापित एवं. त्रुटिशोधित

पीठासीन पदाधिकारी
त्वरित न्यायालय, द्वितीय, दरभंगा

Web Copy